अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

मोहन कंवर आदि बनाम **रिछपालसिंह आदि**

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 119/2017 **निर्णय दिनांक– 14.06.2018**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अनिल कुमार, आरएएस व हाजिरी .... रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादीगण का वाद तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर आराजियात खसरा सं. 14 रकबा 4.0200 हैक्टेयर, खसरा सं. 451 रकबा 3.63 हैक्टेयर, खसरा सं. 293 रकबा 0.09 हैक्टेयर वाके ग्राम बाटड़ानाऊ, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा	किस्म	लगान
1. मोहन कंवर पत्नी किशोरसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह हि. 1/3 मोहनसिंह बजरंगसिंह पि. लादूसिंह हि. 2/3 जाति राजपूत सा.देह	14/1	0.16 हैक्टेयर	बा.1	0.80
	14/3 मी.	1.7560 हैक्टेयर	बा.1	18.78
	451 मी.	1.09 हैक्टेयर	बा.2	4.36
	451 मी.	0.70 हैक्टेयर	बा.2	2.80
	किता 4	3.7060 हैक्टेयर	–	16.70
2. रिछपालसिंह हुकमसिंह पि. दुर्जनसिंह हि. 2/3 लोकेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह उम्मेदकंवर पत्नी रघुवीरसिंह प्रितिकंवर पुत्री रघुवीरसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा.देह	239	0.09 हैक्टेयर	गै.मु.बाड़ा	–
	14/3 मी.	1.19 हैक्टेयर	बा.1	5.95
	451 मी.	1.78 हैक्टेयर	बा.2	7.12
	किता 3	3.06 हैक्टेयर	–	13.07
3. राजस्थान सरकार	14/3 मी.	0.07 हैक्टेयर	गै.मु.रा.	–
	451 मी.	0.06 हैक्टेयर	गै.मु.रा.	–
	किता 2	0.13 हैक्टेयर	–	–

नोट– खसरा सं. 14/2 रकबा 0.8440 हैक्टेयर एन.एच. 65 के खाते में दर्ज हो गया।

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो।

बीज ....मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमें के मय शूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.06.2018 को केम्प बाटड़ानाऊ में जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14.06.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत– न्याय आपके द्वार– 2018 के तहत आयोजित कैम्प बाटड़ानाऊ में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से वांछित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। कैम्प स्थल पर वादी सं. 2 सुरेन्द्रसिंह स्वयं उपस्थित। प्रस्तुत वाद का भी अवलोकन किया जिसमें वादीगण ने बंटवारा चाहा है। इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम से भी पूछताछ की गई। उक्त विभाजन प्रस्ताव का भी अवलोकन किया। साथ ही वादी सं. 2 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। उपरोक्त अवलोकन के उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/1261/भू.अ./2018 दिनांक 17 मई, 2018 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर आराजियात खसरा सं. 14 रकबा 4.0200 हैक्टेयर, खसरा सं. 451 रकबा 3.63 हैक्टेयर, खसरा सं. 293 रकबा 0.09 हैक्टेयर वाके ग्राम बाटड़ानाऊ, तहसील लक्ष्मणगढ जिला–सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–	

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. मोहन कंवर पत्नी किशोरसिंह सुरेन्द्रसिंह पुत्र किशोरसिंह हि. 1/3 मोहनसिंह बजरंगसिंह पि. लादूसिंह हि. 2/3 जाति राजपूत सा.देह	14/1 14/3 मी. 451 मी. 451 मी.	0.16 हैक्टेयर 1.7560 हैक्टेयर 1.09 हैक्टेयर 0.70 हैक्टेयर
	किता 4	3.7060 हैक्टेयर
2. रिछपालसिंह हुकमसिंह पि. दुर्जनसिंह हि. 2/3 लोकेन्द्रसिंह पुत्र रघुवीरसिंह उम्मेदकंवर पत्नी रघुवीरसिंह प्रितिकंवर पुत्री रघुवीरसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत सा.देह	239 14/3 मी. 451 मी.	0.09 हैक्टेयर 1.19 हैक्टेयर 1.78 हैक्टेयर
	किता 3	3.06 हैक्टेयर
3. राजस्थान सरकार	14/3 मी. 451 मी.	0.07 हैक्टेयर 0.06 हैक्टेयर
	किता 2	0.13 हैक्टेयर

नोट– खसरा सं. 14/2 रकबा 0.8440 हैक्टेयर एन.एच. 65 के खाते में दर्ज हो गया।

तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official